Rosh 13

आयकर आयुक्त – I, विशाखपट्टणम की कार्यवाही PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-I, VISAKHAPATNAM

एन राउल , भा.रा.से. / N.RAUL, IRS

आयकर आयुक्त – I, विशाखपट्टणम / Commissioner of Income Tax-I, Visakhapatnam

फा.सं. तक-॥ (19)/80जी/सी.आई.टी. –।/विशाखा/2012-13 F.No. Tech-॥ (19)/80G/CIT-I/Vskp/2012-13

दिनांकः 15-01-2013

Dated: 15-01-2013

विषय: संस्थान या न्यास के लिए या उसे बनाये रखने के विशाख जिल्ला नव निर्माण समिति, विशाखपट्टणम के लिए अनुमोदन की मंजूरी (आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 जी(2) व (5) का संदर्भ लें) के संबंध में ।

SUB: Grant of approval or for continuance thereof to an institution or a trust (referred to 80G u/s G(2) &(5) of the I.T. Act,1961) - Reg.

संदर्भ : विशाख जिल्ला नव निर्माण समिति, विशाखपट्टणम द्वारा प्रपत्र 10 जी में फाइल किया गया आवेदन

REF: The application in Form No. 10 G filed by Visakha Jilla Nava Nirmana Samithi, Visakhapatnam, dt.29.052012

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अतंर्गत अनुमोदन APPROVAL U/S.80G(5) (vi) OF THE INCOME TAX ACT,1961

उपरोक्त के मामले में दिनांक 05-10-2012 को अनुमोदन के लिए प्रपत्र 10 जी में फाइल किये गये आवेदन की जाँच की गई एवं मुझे इस बात कि संतुष्ट है कि:-

The application filed in Form No. 10G seeking approval in the above case on **05-10-2012** has been examined and I am satisfied that;

- (i) यह न्यास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी की उपधारा-2 के खंड (iv) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार है । This is a society as mentioned in clause (iv) of sub-section 2 of Sec. 80G of the I.T. Act, 1961.
- (ii) उक्त न्यास /निधि/सोसाइटी को दिये गये दान की राशि उस व्यक्ति की आय की संगणना करने में कटौती के लिए लागू होगी जिसने दान दिया है अर्थात जिस दाता के हाथों दान दिया गया है। The donations made to the said trust/fund/society do qualify for deduction in computing the income of a person who makes the donation i.e. in the hands of the donor.
- (iii) सोसाइटी का पूरा पत्र जानकारि के बाद और सहायक आयकर आधिकारी सर्किल -5(1) का रिपोर्ट दिनांक 10-12-12 और अपर आयकर आयुक्त, रेंज -5 विशाखपट्टणम का रिपोर्ट दिनांक14-12-12 तदनुसार आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 जी(5)(vi) के तहत् एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान की जाती है।

On careful consideration of the case stated by the trust, the documents filed, the Assessing Officer's report dated 10-12-2012 and the report of the Addl.CIT, Range-5, Visakhapatnam dated 14-12-2012, recognition u/s.80G(5)(vi) of the I.T. Act 1961 is hereby accorded to it.

यह अनुमोदन दिनांक 15-01-2013.से प्रभावी होगा बशर्ते यह आयकर अधिनियम,1961 के सभी अन्य प्रावधान, जहाँ लागू हों, और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :

The approval shall have effect from 15-01-2013 onwards till revoked subject to all other provisions of the I.T. Act, 1961 as applicable in particular the provision of section 80G (5) and further subject to the following conditions:

- (i) दाता को जारी की गई रसीदों पर रसीद संख्या और इस आदेश की तारीख तथा उसकी वैध्यता की अवधि होनी चाहिए।

 The receipts issued to the donors should bear the number and the date of this order and the period of validity.
- (ii) न्यास अथवा संस्था को दिनांक 31-03-2012.को समाप्त अवधि तथा परवर्ती वर्ष (वर्षी) के लिए अपनी आय एवं व्यय से संबंधित विवरण तथा अन्य वित्तीय विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

The trust or institution shall submit the statement of income and expenditure and other financial statements for the year ended 31.03.2012 and subsequent year(s) within the prescribed time before the prescribed authority.

(iii) न्यास अथवा संस्था को नियमित रूप से लेखा-बिहयों का रख-रखाव करना होगा एवं आयकर अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) खंड (ख) के अपेक्षानुसार उनकी लेखा परीक्षा करनी होगी।

The trust or institution shall maintain the books of accounts regularly and also get them audited as required under clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the I.T. Act.

- (iv) धारा 139(4क) के साथ पठित धारा 139(1) के अनुसार न्यास अथवा संस्था को नियमित रूप से आय की रिटर्न फाइल करनी होगी । The trust or institution shall file the return of Income regularly as stipulated under section 139(1) read with section 139(4A).
- (v) न्यास/सोसइटी/संघ/कंपनी के विलेख में नियत कानूनी कार्यविधि अर्थात उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आदेश के बिना किये गये किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रभावी नहीं माना जायेगा एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देनी होगी ।

 No change in deed of the Trust/Society/Association/Company shall be effected without due procedure of law i.e. by the order of the jurisdictional High Court, and its intimation shall be given immediately to this office.
- (vi) धारा 80 जी की उप-धारा (5)के खंड(i) में वर्णित परंतुक के अनुसार न्यास अथवा संस्था को कारोबार की गतिविधियों के संबंध में अलग से लेखा बहियों का रख-रखाव करना होगा । प्राप्त किये गये दान का उपयोग कारोबार के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहिए ।

The trust or institution shall maintain separate books of account in respect of business activity as stipulated in the proviso to clause (i) of sub-section(5) of section 80G. The donations received should not be used directly or indirectly for the purpose of business.

- (vii) किसी पूर्व वर्ष में उस पूर्व वर्ष की कुल आय की पांच प्रतिशत से अधिक राशि धार्मिक कार्यों पर व्यय नहीं करना चाहिए।

 No expenditure should be incurred which is religious nature in any previous year in excess of five percent of its total Income of that previous year.
- (viii) पुण्यार्थ कार्यों में पूर्ण रूप से या पर्याप्त मात्रा में किसी धार्मिक प्रकृति संबंधी कार्य शामिल नहीं होती है ।
 - Charitable purpose does not include any purpose the whole or substantially the whole of which is of a religious nature.
- (ix) धनराशि के रूप में दिये गये दान को छोड़कर किसी अन्य दान को धारा 80 जी के अंतर्गत कटौती के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

 No deduction under Section 80G shall be allowed in respect of any donation unless such donation is of a sum of money.
- (X) न्यास अथवा संस्था धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा । The trust and the trustees shall not violate the provisions of section 13.

Sd/(N.Raul)

Commissioner of Income Tax – 1,
Visakhapatnam

प्रतिलिपि./ copy to:

M/S.VISAKHA JILLA NAVA NIRMANA SAMITHI,
D.NO.3/26, RADHA KRISHNA MISSION,

1ST LANE, SARADA NAGAR,
NARSIPATNAM P.O.,
VISAKHAPATNAM DIST – 531 116.

- 2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-5, विशाखपट्टणम/Addl. CIT, Range- 5, Visakhapatnam.
- 3. सहायक आयकर आधिकार, सर्किल-5(1), विशाशपट्टणम. Asst.Commissioner of Income Tax, Circle-5(1), Visakhapatnam.

(बि ज़े रिव /B.J.RAVI)

आयकर अधिकारी(मुख्या)-१/Income-Tax Officer(Hqrs) का.आ-१,विशाखापटटणण/ O/O THE CIT-1, VISAKHAPATNAM